फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

यूको बैंक, एक राष्ट्रीयकृत कार्यालय हैं। जिसका प्रधान कार्यालय :– 10 वि.त्रै.म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता, शाखा कार्यालयः– राजसमन्द(राज.) – **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री रघुराज सिंह चारण पुत्र श्री गजराज सिंह चारण, निवासीः– ओ–1, हाउसिंह बोर्ड, गोविन्द नगर, राजसमन्द(राज.) **(ऋणी)**
2. श्रीमती उर्मिला कॅवर चारण पत्नी श्री रघुराज सिंह चारण पताः– ओ–1,हाउसिंह बोर्ड, गोविन्द नगर, राजसमन्द(राज.) **(जमानती)**

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 61 / 2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10 / 12 / 2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी यूको बैंक, की शाखा राजसमन्द(राज.) में है। प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय में दिनांक 15.11.2019 को धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से खाता संख्या 22630610001110 जरिये दिनांक 19.03.2013 को ऋण राशि रूपये 12,00,001 /– का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण संख्या 1 नं ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्ति के असल कागजात मय उस पर निर्मित तामीरात के प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया जो कि निम्न प्रकार से है, बंधक सम्पत्ति का विवरण :– श्री रघुराज सिंह चारण पुत्र श्री गजराज सिंह चारण की संपत्ति जो प्लॉट व मकान नं. ओ–1, स्थित, गोविन्द नगर, हाउसिंह बोर्ड, राजसमन्द(राज.) पर है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 1315.41 वर्ग फिट है। चतु : सीमा उत्तर में :– मकान नं. ओ–02, दक्षिण में :– सड़क, पूर्व में :– सड़क, पश्चिम में :– मकान नं. ओ–14 है। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31 / 05 / 2019 को अक्रियान्वित आस्ति (NPA) में वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगणो के खाते में खाता संख्या "22630610001110" में रूपये 10,44,476.05 /– दिनांक 31 / 05 / 2019 तक (जिसमें दिनांक 31 / 12 / 2018 तक का ब्याज शामिल है) (शब्दों में रूपयें दस लाख चम्मालीस हजार चार सौ छिहेत्तर व पैसा पॉच मात्र) व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 17.06.2019 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ड़ाक से प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्हीं देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं दिया। नोटिस की प्रति संलग्न है। अप्रार्थीगणो ने धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो जाने व नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। इस उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनूसार प्रार्थी बैंक उक्त	

अनुसूची में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति को विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है। दिनांक–16, अगस्त, 2016 को भारत का राजपत्र असाधरण भाग–2–खण्ड–1–संख्या–51 के तहत् वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 में संशोधन किए गए हैं, उक्त संशोधित एक्ट की धारा सेक्शन–12 जो कि निम्न प्रकार से है:–

Sec-12 In the principal Act[in section 14, in sub-section(*1*),-

(1) in the second proviso, after the words "secured assets", the words "within a period of thirty days from the date of application" shall be inserted:

(2) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days."

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 17.06.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी यूको बैंक द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण :– श्री रघुराज सिंह चारण पुत्र श्री गजराज सिंह चारण की संपत्ति जो प्लॉट व मकान न. ओ–1, हाउसिंह बोर्ड, गोविन्द नगर, राजसमन्द(राज.) पर है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 1315.41 वर्ग फिट है। चतु : सीमा उत्तर में :– मकान नं. ओ–02, दक्षिण में :– सड़क, पूर्व में :– सड़क, पश्चिम में :– मकान नं. ओ–14 है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय :– राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी यूको बैंक, शाखा कार्यालयः– राजसमन्द(राज.) को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 सी कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द